रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 1987/वैशाख 25, 1909
No. 103] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 1987/VAISAKHA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 178–आईटीसी(पीएन)/85-88

नई दिल्ली, 15 मई, 1987

विषय: अप्रैल 1985 -मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति

फा.सं. आईपीसी/4/10(1)/90/81–82:— वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1–आईटीसी(पीएन)/85–88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985–मार्च 1988 के लिए व्यापारसंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जायेंगे :—

क्र.सं.	आयात-निर्यात नीति 1985–88 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	22	परिशिष्ट–3 पैरा 63(3)	पांचवीं और छठी पंक्ति में "मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात" शब्दों के लिए संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी प्रतिस्थापित किया जाएगा। तथापि,

1	2	3	4
			खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमित रंजीगत माल के संबंध में, मूल्य को ध्यान में रखे बिना, आवेदनपत्र संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को भेजे जाएंगे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
2	32	अध्याय–5 पैरा 104	तीसरी पंक्ति में "संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी" शब्दों के लिए "मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात, नई दिल्ली" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।
3	131	परिशिष्ट–3 भाग–क प्रविष्टि सं. 365	इस प्रविष्टि का विवरण निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— "365. पी.यू. चमड़े के कतरे सहित परन्तु पी.यू. चमड़े को छोड़कर फुटबाल बनाने के लिए अपेक्षित सभी प्रकार का पी.वी.सी. चमड़ा।
4	161	परिशिष्ट–6 खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन मदों का आयात	मद सं. 308 के बाद निम्नलिखित नई मद जोड़ी जाएगी :—

मद	पात्र आयातकों की श्रेणियां
308 फुटबाल बनाने के लिए पोलियूरीथेन चमड़ा	(1) निर्यात के लिए फुटबाल के विनिर्माण में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ता। (2) भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.)

5	169	परिशिष्ट–5 खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात नियंत्रित करने वाली शर्तें	शर्त सं. 44 के बाद, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी :— "44क. पोलियूरीथेन के मामले में वे वास्तविक उपयोक्ता जो निर्यात के लिए फुटबालों के विनिर्माण में लगे हुए है और जो सीधे आयात करना चाहते हैं या राज्य व्यापार निगम से इस मद की अधिप्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद् (एस.जी.ई.पी.सी.) के पास अपनी संविदाएं रंजीकृत करानी पड़ेंगी । आयात केवल ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में एस.जी.ई.पी.सी. द्वारा संबंधित संविदा पर मोहर लगाने के बाद ही किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए संविदा की दो प्रतियां एस.जी.ई.पी.सी. को दी जाएंगी, और वे एक प्रति को माल की निकासी के समय सीमाशुल्क को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत मोहर लगाकर आयातक को लौटा देंगे। आयातक आयात करने के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को इस बारे में एस.जी.ई.पी.सी. से एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा कि आयातक निर्यात के प्रयोजन के लिए फुटबाल का विनिर्माता है। उसके बाद की संविदा के पंजीकरण के समय, संबंधित आयातक को फुटबाल के विनिर्माण और निर्यात की मानिटरिंग के प्रयोजनार्थ पहले पंजीकृत की गई संविदाओं के मद्दे आयातित माल का उपयोग करने के रूप में किए गए आयात की प्रगति को चिह्नित करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। भारतीय राज्य व्यापार निगम भी निर्यात के प्रयोजन के लिए फुटबाल के विनिर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को वितरण करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन पोलियूरीथेन चमड़े का आयात करने का पात्र है। लेकिन, भारतीय राज्य व्यापार निगम को एस.जी.ई.पी.सी. के पास अपनी संविदाएं पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2–आईटी सी (पीएन)/85–88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अधीन प्रकाशित आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985–88 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। उक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपर्युक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्र.सं.	आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985–88 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1.	26	अध्याय–3 पैरा–178 लीजिंग कम्पनियों द्वारा वित्त पोषित पूंजीगत माल का आयात	दूसरा वाक्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात के लिए अनुमित पूंजीगत माल के लिए लीज वित्त पोषण के अन्तर्गत आयात के लिए आवेदन-पत्र चाहे उनका कितना भी मूल्य हो क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजनी है जबकि अन्य पूंजीगत माल के लिए (प्रतिबंधित पूंजीगत माल को छोड़कर) आवेदन पत्र सम्बद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने हैं।
2.	35	अध्याय–4 पैरा–223(3)	दसवीं और ग्यारहवीं पंक्तियों में "सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी" शब्दों के लिए "मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. आयात-निर्यात नीति और आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक में उपर्युक्त संशोधन सार्वजनिक हित में किए गए हैं।

ह०/-

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

मंजुला सुब्राह्मण्यिम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 178-ITC (PN)/85-88

New Delhi, the 15th May, 1987

Subject : Import and Export Policy for April 1985—March 1988

F.No. IPC/4/10(1)/90/81-82.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-IPC (PN)/85-88, dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1985—88 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	22	CHAPTER III Paragraph 63(3)	In the 5th and 6th lines, for the words "Chief Controller of Imports & Exports", the words "Concerned licensing authority. However, in respect of capital goods allowed under OGL, applications shall be made to the regional licensing authority concerned, irrespective of the value." shall be substituted.
2.	32	CHAPTER V Paragraph 104	In the third line, for the words "concerned licensing authority" the words "Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi" shall be substituted.

1	2	3	4
3.	131	APPENDIX 3. PART—A Entry No. 365	The description of this entry shall be amended as under : "365. PVC leather cloth of all sorts including PU leather cloth but excluding PU leather required for manufacture of footballs."
4.	161	APPENDIX 6 IMPORT OF ITEMS UNDER OPEN GENERAL LICENCE	After item No. 308, the following new item shall be added :-

Items	Categories of eligible importers
"309. Polyurethane leather for manufacture of footballs.	(i) Actual Users engaged in the manufacture of footballs or exports. (ii) State Trading Corporation of India (STC)"

5.	169	APPENDIX 6 Conditions governing imports under Open General Licence	After condition number (44), the following condition shall be added :—

"(44A). In the case of Polyurathane Leather the Actual Users engaged in the manufacturs of footballs for exports who wish to import directly or procure the item from STC shall be required to register their contracts with the Sports Goods Export Promotion Council (SGEPC). Imports shall be made only after the connected contract has been stamped by SGEPC as evidence of such registration. For this purpose two copies of the contract shall be lodged with the SGEPC, and they will return one copy to the importer duly stamped on each page for production to the Customs at the time of clearance of goods. The importer shall also produce to the customs authoties at time of importation, a certificate from the SGEPC to the effect that the importer is a manufacturer of footballs for the purpose of exports. At the time of registration of a subsequent contract, the eligible importer should also furnish a statement indicating the progress made in import and utilisation of the material imported against contracts earlier registered for the purpose of monitoring the manufacture and exports of footballs.

State Trading Corporation of India (STC) will also be eligible to import polyurethane leather under OGL for distribution to Actual Users for the manufacture of footballs for export purposes. STC will, however, not have to register their contracts with SGEPC."

3. Attention is also invited to the Hand Book of Import-Export Procedures, 1985—88, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC (PN)/85—88 dated the 12th April, 1985. The following amendments shall be made in the said Hand Book at the appropriate places as indicated below :—

Sl. No.	Page No. of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1985—88	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	26	CHAPTER III Paragraph 178 Import of Capital Goods financed by Leasing Companies.	The second sentence shall be substituted by the following :— "For capital goods allowed for import under OGL, application for import under lease financing is to be made to the regional licensing authority irrespective of value involved whilst for other capital goods (excluding restricted capital goods), applications are to be made to the concerned licensing authority."
2.	35	CHAPTER IV Paragraph 223 (iii)	In the 10th and 11th lines for the words "regional licensing authority concerned", the words "Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi" shall be substituted.

4. The above amendments in the Import & Export Policy and Hand Book of Import-Export Procedures have been made in the Public interest.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.

MANJULA SUBRAMANIAM, Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987